न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 13/2013

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद मून्दडा पुत्र श्री बिशनलाल मून्दडा जाति माहेश्वरी निवासी बाबू मौहल्ला तहसील व जिला अजमेर

.... अपीलान्ट ......

बनाम

1. प्रवीण कुमार जैन पुत्र स्व0 पदमचन्द जैन निवासी मकान नम्बर 278/23 टीकमगंज केसरगंज अजमेर
2. ग्राम पंचायत पालरा जरिए सरपंच पंचायत समिति श्रीनगर
3. पटवारी महोदय ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 30.10.2009

<u>आदेश</u>

दिनांक :– 14.11.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 30.10.2009 के साथ संलग्न प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट विवादित नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 30.10.2009 से व्यतीत पक्षकार है तथा विवादित भूमि का निकट का खातेदार है

Scanned by CamScanner

जिसमें अपील प्रस्तुत कि जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता/अप्रार्थी ने प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत कर निवेदेन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत यह स्पष्ट नही किया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट किस प्रकार से व्यतीत पक्षकार है तथा निकट का खातेदार होने के तहत उसका क्या खसरा नंबर है। और उसके किस प्रकार से हित प्रभावित होते है साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट नामान्तकरण कार्यवाही में पक्षकार भी नही है। इस प्रकार प्रार्थी /अपीलान्ट का ना तो किसी प्रकार से हित प्रभावित नही होता है ना ही व्यतीत पक्षकार है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर तदानुसार अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2001 (1) आर बी 77, आर आर टी 2011 (1) एच.सी 614, आर आर टी 2016 (2) आर बी 984, आर आर टी 2002 (1) आर बी 355, आर आर टी 2012 (1) आर बी 374 प्रस्तुत किये ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य प्रकट हुए कि नामान्तकरण संख्या 473 दिनांक 30.10.2009 में रिकार्डेड खातेदार द्वारा पजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.7.2009 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिस विवादित भूमि में अपीलान्ट/प्रार्थी के किस प्रकार के हक अधिकार निहित करते है तथा यह किस प्रकार से हितबद्व पक्षकार है प्रमाणीत नही किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांन्ट द्वारा विवादित भूमि के पडौसी खातेदार होने सबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है इस प्रकार अपील अपीलान्ट सदभाविक हितबद्व पक्षकार की श्रेणी में नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील अपीलान्ट अनतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner